सर्वगत प्रख्यापन

संहिता १ :

सभी मनुष्यगण मुक्त रुप से जन्म लेते हैं तथा उनके आत्मसम्मान और हक्क एकसमान होते हैं । कार्यकारणभाव का ज्ञान और मन कि संवेदना से वे सजग होते हैं इसीनिये एकदूसरे के साथ उन्हें बंधत्व कि भावना से बर्ताव करना चाहिये ।

संहिता २ :

किसी भी तरह जात - रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय या अन्य समझ, राष्ट्रीय या सामाजिक क्षेत्र, जन्माजात जायदाद-धारक या अन्य पदधारणा ऐसी किसी भी तरह का फर्क किए बगैर, इस जाहिरनामा में आगे दर्ज किये जानेवाले सभी हक्क तथा स्वतंत्रता के प्रति सभी का समान अधिकार हैं । आगे यह भी दर्ज किया जाता है कि राजकीय, न्यायिक तथा अंन्तराष्ट्रीय पदधारणा या कोई व्यक्ती कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, या तो वह एक स्वतंत्र व्यक्ती हो, ट्रस्ट हो, स्व-सत्ताधारक न हो या अन्य किसी की सार्वभौमीकता के दायरे में बद्ध व्यक्ती हो, इन सबके बारेमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

संहिता ३ :

हर किसी को जिने का हक्क है तथा अपने ढंग से जिने का स्वातंत्र्य है और हर कोई व्यक्तीगत सुरक्षा का हकदार है ।

संहिता ४ :

कोई भी गुलामी में या दूसरे कि सेवा में नहीं जियेगा । क्योंकि गुलामी एवंम गुलामी के धंदे को हर रुप में प्रतिबंधित किया जायेगा ।

संहिता ५

किसी को भी अन्य दूसरे मनुष्य को तकलीफ देना या उसके साथ क्रूरता से पेश आने का या दूसरे को प्रताड़ित करनेका तथा सज़ा देने का अधिकार नहीं रहेगा ।

103, Tirupati Plaza, A/212c, Street No 1, Shakarpur, Vikas Marg, Delhi – 110092.
P: +91 11 22433212 C: +91 9769926275 E: info@ihrc.in W: www.ihrc.in

संहिता ६ :

हर एक व्यक्ती को कानुन के सामने एक व्यक्ती के रुप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार रहेगा ।

संहिता ७ :

सभी लोग कानुन के सामने एक समान है तथा भेदभाव किए बगैर कानुन से समान रुप से सुरक्षा पाने के हकदार हैं ।

संहिता ८ :

संविधान या कानुनद्वारा बहाल किये गए मुलभूत अधिकारोंपर आँच लानेवाले कृत्योंपर या हरकतों पर सक्षम राष्ट्रीय न्याय-मंड़लद्वारा कारीगर उपाययोजना कराने का हक्क सभी को है तथा रहेगा ।

संहिता ९ :

किसी को भी उचित वजह के बिना हिरासत में लिया नहीं जायेगा, या तो बेवजह प्रताड़ित या दंडित नहीं किया जायेगा ।

संहिता १० :

किसी के भी खिलाफ उसके हक तथा जिम्मेदारियाँ और उसके खिलाफ लगाए गए किसी भी गुनाह के बारे में लगाये गए आरोपों कि जाहिर सुनवाई एक स्वतंत्र और निःपक्ष न्यायमंडल के सामने कराने का समसमान अधिकार रहेगा ।

संहिता ११ :

(i) हर किसी पर संहिता के तहत अगर कोई गुनाह का मामला दर्ज हैं तो उक्त स्थिती में जबतक जाहिर सुनवाई में खद के बचाव में पूरी सफाई पेश करने के पश्चात कानुन के मुताबिक उसे दोषी करार किय जाने तक उसे निर्दोष या निष्पाप ही माना जायेगा ।

(ii) किसी भी कृत्य या नियम का अनुपालन न होने की घटना घटने के वक्त राष्ट्रीय या आंतरराष्ट्रीय कानुन के मुताबिक उक्त कृत्य करनेवाला शख्स/ व्यक्ती दोषी माना नहीं

103, Tirupati Plaza, A/212c, Street No 1, Shakarpur, Vikas Marg, Delhi – 110092.
P: +91 11 22433212 C: +91 9769926275 E: info@ihrc.in W: www.ihrc.in

जायेगा तब तक कि उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता । साथ-ही-साथ संहितापूर्ण अपराधी कृत्य करनेवाले शख्स के खिलाफ उचित दंड़निय कारवाई से ज़्यादा कारवाई नहीं की जायेगी।

संहिता १२ :

किसी के भी निजी मामले में, परिवार, घर या पत्रव्यवहार में बिना वजह दखलअंदाजी नहीं कि जायेगी । क्योंकि उस तरह कि दखलअंदाजी या हमलों से कानुन सुरक्षा प्राप्त कराने का अधिकार सभी को है ।

संहिता १३ :

(i) हर राजय कि सीमाक्षेत्र में मुक्तता से काम करने का तथा रहने का हक्क तथा स्वातंत्र्य हर एक व्यक्ती को रहेगा ।

(ii) हर किसी को अपने खुद के देश के साथ-साथ अन्य किसी भी देश को छोड़ने का तथा अपने देश वापिस लौटने का अधिकार रहेगा ।

संहिता १४ :

(i) न्यायिक कार्यवाही को छोडकर सभी को अन्य देशों में जाने का तथा वहाँ मनोरंजन प्राप्त करने का अधिकार रहेगा ।

(ii) अराजकीय गुनाहों से निर्माण मामलों कि उचित न्यायिक कार्यवाही के चलते या संयुक्त राष्ट्र महासभा के हेतू एवंम् तत्वों को ठेंस पहुँचानेवाले कृत्यों के बदौलत उक्त अधिकार पर आँच नहीं आयेगी ।

संहिता १५ :

(i) हर एक को अपनी राष्ट्रीयता का अधिकार रहेगा ।

(ii) किसी को भी अपना राष्ट्रीयत्व बेवजह त्याग देने का तथा अपने राष्ट्रीयत्व का हक छोड़ देने का अधिकार नहीं रहेगा ।

103, Tirupati Plaza, A/212c, Street No 1, Shakarpur, Vikas Marg, Delhi – 110092.
P: +91 11 22433212 C: +91 9769926275 E: info@ihrc.in W: www.ihrc.in

संहिता १६ :

(i) सभी उम्र के पुरुष तथा स्त्रीयों को जात, राष्ट्रीयत्व या धर्म/मज़हब कि मर्यादाओं के बंधन के बिना अपनी शादी कर खुद का स्वतंत्र परिवार बसाने का हक रहेगा । उक्त शादी के मद्देनज़र, शादीशुदा जीवन- कालावधीमें तथा शादी कि बर्खास्तगी पर उन सबको समान अधिकार रहेगा।

(ii) नियोजित वर-वधुओं की पूर्णतः स्वेच्छा-सम्मति से ही विवाह संपन्न किया जायेगा ।

(iii) परिवार यह समाज की नैसर्गिक तथा मूलभूत शाखा है और इसीलिये उक्त परिवार समाज तथा राज्यद्वारा सुरक्षा प्राप्त होने के लिये अधिकार प्राप्त है।

संहिता १७ :

(i) हर एक को अपनी खुदकी तथा अन्य व्यक्तीयों के सहभाग के साथ मालकाना जायदाद रखने का अधिकार रहेगा ।

(ii) किसी को भी अपनी जायदाद का बिना किसी वजहसे अवैध रुप से इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

संहिता १८ :

हर एक व्यक्ती का विचार, संवेदना तथा धर्म/मजहब के संदर्भ में पूर्ण आजादी रहेगी। इसमें अपना मज़हब तथा विश्वास में परिवर्तन करने का अधिकार सम्मिलित है और यह फेरबदल स्वयं अकेले या तो समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर ज़ाहिर तौर पर या निजी तौरपर उसतरह मज़हबी बदलाव या शिक्षा में विश्वास, रोज़ाना काम करते रहना तथा पूजापाठ/प्रार्थना करना इन सभी बातें सम्मिलित मानी जायेगी।

संहिता १९ :

हर एक को अपना मत तथा भावनाओं को प्रदर्शित करने कि आज़ादी रहेगी, जिसमें किसी भी दबाव के बिना मतधारणा को आज़ादी रहेगी और किसी भी भेदभाव के बिना किसी भी प्रसार माध्यम द्वारा

103, Tirupati Plaza, A/212c, Street No 1, Shakarpur, Vikas Marg, Delhi – 110092.
P: +91 11 22433212 C: +91 9769926275 E: info@ihrc.in W: www.ihrc.in

जानकारी हासिल/प्राप्त करना तथा उसका आदान-प्रदान करने का अधिकार भी इसमें शामिल माना जायेगा ।

संहिता २० :

(i) शांतीपूर्ण तरीके से सभा-संमेलन आयोजित कराने का अधिकार सभी को रहेगा ।

(ii) थ्कसी को भी जोर-जबरदस्ती से संगठन/पक्ष का सदस्य बनाने पर पाबंदी रहेगी ।

संहिता २१ :

(i) प्रत्यक्ष रुप से या खुले तौर पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा अपने देश कि सरकार में सहभाग लेने का अधिकार हर किसी को होगा ।

(ii) अपने देश में समाजसेवा में हाथ बँटाने का सम-समान तथा पूरा अधिकार हर किसी को होगा ।

(iii) सरकार चलाने के वास्ते लोगों कि स्वेच्छा सम्मति केवल एक नींव के समान है। तथा कालबद्ध, उचित चुनावों के माध्यम से यह स्वेच्छासंमती नज़र आती है जो कि समान न्याय, समान संधी के द्वारा तथा गुप्त मतदान के ज़रिये मुक्त मतदान प्रणाली से दृष्टिगोचर / दर्शित होता है।

संहिता २३ :

(i) हर एक को काम करने का तथा नौकरी चुनने का अधिकार रहेगा, साथ-ही-साथ काम कि जगह में न्यायोचित, अनुकूल वातावरण प्राप्त कराने का और बेरोज़गारी से सुरक्षा प्राप्त कराने का अधिकार रहेगा ।

(ii) किसी भी तरह से भेदभाव के बिना समान काम के लिये समान वेतन हासिल करने का अधिकार सभी को होगा ।

103, Tirupati Plaza, A/212c, Street No 1, Shakarpur, Vikas Marg, Delhi – 110092.
P: +91 11 22433212 C: +91 9769926275 E: info@ihrc.in W: www.ihrc.in

(iii) अपने खुदकी तथा परिवार को उचित मानवी सम्मानभरी जिंदगी जिने के लिये, आवश्यकतानुसार पूरक/अधिक मदद प्राप्त होने के लिये तथा सामाजिक दृष्टी से पूरा संरक्षण पाने के लिये हर एक काम करनेवाले व्यक्ती को न्यायोचित तनखाह प्राप्त करने का अधिकार रहेगा ।

(iv) अपने हितसम्बधों कि रक्षा के लिये हर एक को कामगार-युनियन गठित करने का तथा उक्त युनीयन में शामिल होने का हक रहेगा ।

संहिता २४ :

हर एक को कामकाज के समय में उचित मर्यादाओं के अनुपालन करने के साथ-साथ विश्राम करने का तथा मनोरंजन प्राप्त करने का अधिकार होगा और कालबद्ध छुट्टीयाँ वेतन के साथ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

संहिता २५ :

अपने तथा अपने परिवार का स्वास्थ्य और खुशहाली के लिये जरुरी राहणीमान/ मानद दर्जा का रहन-सहन प्राप्त करने अधिकार रहेगा जिसमें अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदद तथा जरुरी समाजसेवाओं शामिल है। साथ-ही-साथ बेरोजगारी का संकट आने पर सुरक्षा प्राप्त करना, बिमारी, अकार्यक्षमता, वैधव्य (बेवा होना), बूढ़ापन तथा रोज़ी-रोटी का ज़रिया खो जाने के अन्य कारण जो कि उसके अपने नियंत्रण के बारह हों, यह सभी मुद्दें भी शामिल हैं ।

संहिता २६ :

(i) हर एक को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा सभी के लिये मुफ्त में मिलनी चाहिये, कम से कम प्राथमिक तथा मूलभूत (शुरुआती शिक्षा) शिक्षा के दौर में ऐसा होना जरुरी है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तांत्रिक तथा धंदेवारीकी शिक्षा अनिवार्य होगी तथा सर्वसामान्यस रुप से मुहय्या/ उपलब्ध कराई जायेगी और उच्च शिक्षा भी गुणवत्ता के आधार पर सभी को समान रुप से दी जायेगी।

103, Tirupati Plaza, A/212c, Street No 1, Shakarpur, Vikas Marg, Delhi – 110092.
P: +91 11 22433212 C: +91 9769926275 E: info@ihrc.in W: www.ihrc.in

(ii) मानवीय व्यक्तीमत्व का पूरी तरह विकास करने के हेतू तथा मानवीय हक्क और मुलभूत स्वातंत्र्य को बढावा मिलने के लिये शिक्षा का आयोजन किया जायेगा। सभी राष्ट्रों के बिच मित्रता बढ़ें, वांशिक या लिंगभेद तथा धार्मिक गुटों में तालमेल बना रहे जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का शांती बनाये रखने का मकसद सफल हो ऐसा प्रयास किया जायेगा ।

(iii) अपने बच्चों को दी जानेवाली शिक्षा के बारे में चुनने का अधिकार माता-पिताओं को रहेगा ।

संहिता २७ :

(i) हर एक व्यक्ती को समाज के सांस्कृति कार्यो में सहभाग लेने का अधिकार रहेगा तथा कलाक्षेत्र और वैज्ञानिक प्रगती का लाभ उठाने का अधिकार रहेगा ।

(ii) हर एक को नैतिक मूल्यों तथा भौतिक हितसंबंधोकि रक्षा करने का हक्क रहेगा । कोई भी लेखक अपने वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा कलात्मक लेखन के द्वारा इसकी दिशा में अपने नेक प्रयास जारी रख सकता है ।

संहिता २८ :

उक्त ज़ाहिरनामा में जो भी हक्क और स्वातंत्र्य-मूल्यों को बढ़ावा देने कि बात कही गई है उन बातों पर अंमल करने के लिये सामाजिक तथा आंतरराष्ट्रीय आदेशों को प्राप्त कराने का हर एक व्यक्ती को हक्क है ।

संहिता २९ :

(i) हर कोई शख्स / व्यक्ती जिस समाज का एक हिस्सा है उस समाज के द्वारा जिसका व्यक्तित्व का विकास मुमकिन होता है ऐसे समाज के प्रति उसकि भी जिम्मेदारियाँ या उत्तरदायित्व होता है ।

103, Tirupati Plaza, A/212c, Street No 1, Shakarpur, Vikas Marg, Delhi – 110092.
P: +91 11 22433212 C: +91 9769926275 E: info@ihrc.in W: www.ihrc.in

(ii) अपने हक्क तथा स्वातंत्र्य कि कार्यवाही करते वक्त हर किसीने अपने हक्क तथा उनके हक्क एवंम् स्वातंत्र्य पर भी कोई आँच न आये इसकी सावधानी बरतनी चाहिये । हर व्यक्ती को चाहिये कि एक लोकहीत युक्त समाज के उत्थान के / विकास के लिये नैतिकता का पालन करना चाहिये तथा ज़ाहिर आदेशों को आदर करना चाहिये जो समाज के हित में पारित लिये गए हैं।

(iii) उपरोक्त हक्क तथा स्वातंत्र्यमूल्यों को अंमल में लाते समय संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्देशों को श्रति न पहुँचे इसलिये पूरी सावधानी बरतनी चाहिये।

संहिता ३० :

कोई भी राज्य, गुट या व्यक्ती द्वारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिये कि उपरोक्त हक्क तथा स्वातंत्र्यमूल्यों को ठेंस पहुँचे । उक्त जाहिरनामा की कार्यवाही में कोई भी भूलचूक या गलती न हो यह हर एक कि जिम्मेदारी है ।

103, Tirupati Plaza, A/212c, Street No 1, Shakarpur, Vikas Marg, Delhi – 110092.
P: +91 11 22433212 C: +91 9769926275 E: info@ihrc.in W: www.ihrc.in